न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2025 G.C.M.S. No. 2025/77 दर्ज दिनांक : 17.03.2025

अपीलार्थी:

1. वजा पुत्र नारणा, जाति रेबारी, निवासी सरनाउ, तहसील सांचौर, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जीवा पुत्र रामचन्द्र, जाति बिश्नोई, निवासी सरनाउ, तहसील सांचौर, जिला जालोर
2. तहसीलदार सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40/2012 बअनवान जीवा बनाम वजा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.03.2025

पैरोकार–

1. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पारसमल बराड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40/2012 बअनवान जीवा बनाम वजा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु अपीलांट के खेत में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सांचोर से मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गयी हैं। जिसमें मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गयी हैं तथा नोटिस तामिल में जीवा पुत्र रामचन्द्र को वक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गयी एवं खसरा संख्या–382 के सह खातेदार सवाराम पुत्र नेतीराम व जीवाराम का पुत्र झालाराम व भाई करनाराम वगैरा के मौतबीरान में हस्ताक्षर करवाकर उस समय उपस्थित बताया जबकि सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर पटवारी, आई.आई. आये ही नहीं। इस प्रकार मौका रिपोर्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसीलदार सांचोर ने कार्यालय में बैठकर बनायी हैं तथा फिक्स परफोर्मा में नाम मात्र भरे हैं तथा नजरी नक्शा भी मौका स्थिति के विपरीत जाकर बनाया है। अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, उसमें स्पष्ट वर्णित किया गया था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 के सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर–382 में से हैं तथा वर्तमान में भी रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 खसरा संख्या–382 से आवागमन कर रहा है एवं जो रास्ता बिल्कुल नजदीक, निकटतम एवं सुविधाजनक हैं जो तथ्य रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 ने छुपाकर एवं खसरा संख्या–382 के खातेदारों से मिलावट कर मनगंढत व आधारहीन कानून की मंशा के विपरीत जाकर प्रार्थना पत्र पेश किया था। रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रार्थना पत्र 251ए की दिनांक–12.10.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो करीब 13 वर्षों से लम्बित है, इस दरम्यिान रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 ने अपने खातेदारी भूमि में आवागमन व काश्त हेतु सामान लाना ले जाना कैसे किया उसका भी प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का वर्णन नहीं किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट सं. 1 जीवा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी व वाक्याती भूल की गयी हैं क्योंकि जो रास्ता मौजूद था एवं आवागमन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था। उसके बावजूद भी नया रास्ता सृजित कर दिया जिससे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि प्रभावित हो गयी हैं तथा रकबा कम हो गया हैं। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 को अपनी आराजी में आवागमन के लिए रास्ता उपलबध होने के उपरांत भी नया रास्ता सृजित करवाया गया है। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सरहद मौजा सरनाउ के खसरा नम्बर 376 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलण्ट्स की आराजी खसरा नम्बर 381 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.03.2025 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 381 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। जो भू. अ. नि सरनाउ द्वारा दिनांक 25.11.2024 को तैयार किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख वं अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी खसरा 376 एवं निकटतम गैर मुमकीन रास्ता के मध्य अपीलाण्ट की आराजी खसरा संख्या 381 स्थित है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी तक पहुंच के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं। अतः रास्ता के मांग महज सुविधा नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता है।

3. अपीलांट का यह उज्र कि खसरा संख्या 382 में से उसके आवागमन हेतु निकटतम रास्ता उपलब्ध है, और वह वर्तमान में भी इसी मार्ग का उपयोग कर रहा है किंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज राजस्व अभिलेख, मौका मानचित्र या अन्य वैधानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने अपने अभिवचनों में उक्त कथित रास्ते की दूरी का भी कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया है। अतः निश्चित दूरी के अंकन एवं ठोस साक्ष्यात्मक आधार के अभाव में अपीलार्थी का यह उज्र मात्र एक निराधार प्रकथन होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है।

4. भू.अ.निरी. के विस्तृत जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 376 के निकटतम गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 515 है। उक्त मार्ग एवं प्रार्थी की आराजी के मध्य अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 381 है। जिसके पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकृत रास्ता निकटतम दूरी का एकमात्र विकल्प है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जवाब एवं आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा जवाब प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

5. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40/2012 बअनवान जीवा बनाम वजा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.03.2025 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली